

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या - 30/2024

पीठासीन अधिकारी - राजकेश गीना (आर.एस.)

- उपनाम
1. कमला पत्नि स्व. अम्बालाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कजोडिया तहसील फूलियाकंला जिला शाहपुरा
 2. काना पिता अम्बालाल गुर्जर नाबालिग जरिय सरक्षिका माता कमला पत्नि स्व.अम्बालाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कजोडिया तहसील फूलियाकंला जिला, शाहपुरा
 3. किशनलाल पिता अम्बालाल गुर्जर नाबालिग जरिय सरक्षिका माता कमला पत्नि स्व.अम्बालाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कजोडिया तहसील फूलियाकंला जिला, शाहपुरा
 4. सुरमा पिता अम्बालाल गुर्जर नाबालिग जरिय सरक्षिका माता कमला पत्नि स्व.अम्बालाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कजोडिया तहसील फूलियाकंला जिला, शाहपुरा

----- (प्रार्थीगण)

- वनाम
1. माधु पिता गूगु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कजोडिया तहसील फूलियाकंला जिला, शाहपुरा
 2. रामनाथ पिता ज्वारा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कजोडिया तहसील फूलियाकंला जिला, शाहपुरा
 3. सुरमा पिता माधु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कजोडिया तहसील फूलियाकंला जिला, शाहपुरा
 4. भूमिपति तहसीलदार फूलियाकंला जिला शाहपुरा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता----- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 15.03.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकें ग्राम कजोडिया पटवार मण्डल बडला भूअ.नि. वांसेडा तहसील फूलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 280 के आ.न. 374 रकबा 1.19 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौरीगण / सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा विह नही होने से आये दिन सीमा सवधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाव। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्तु अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत वदस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाकें ग्राम कजोडिया पटवार मण्डल बडला भूअ.नि. वांसेडा तहसील फूलियाकंला में उर्राके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 280 के आ.न. 374 रकबा 1.19 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी वसामलात पक्षाकारन की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक वारांडा का नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौरीगणों को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगा। मौके पर विवाद होने किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षाकारन उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फीसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश गीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकंला, जिला शाहपुरा
फूलियाकंला जिला-शाहपुरा